



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 22, 2009/आश्विन 30, 1931

No. 195]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 2009/ASVINA 30, 1931

### भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

#### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 2009

सं. भा.आ.प. 34(41)/2009-मेडि./44447.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में पुनःसंशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः :—

1. (i) इन विनियमों को "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली (संशोधन), 2009" कहा जाए।

(ii) वे भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाए जाएंगे :—

3. "अर्हता मानदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2(5) को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"कि कोई व्यक्ति प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कॉलेज के परिसर में अध्यापन संस्थान में विकसित किए जाने योग्य आवश्यक अवसरचक्रात्मक सुविधाओं के साथ कम से कम 300 बिस्तारों के अस्पताल का स्वामी हो और उसका प्रबंधन करता हो,

बशर्ते कि पूर्वोक्त राज्य और पर्वतीय राज्यों में 50 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले किसी आयुर्विज्ञान कॉलेज के आरंभ करने के समय अपेक्षित बिस्तारों की संख्या 200 होगी, जिसे मान्यता प्रदान करने के समय बढ़ाकर 400 बिस्तारों किया जाएगा और 100 छात्रों की वार्षिक प्रवेश क्षमता वाले किसी आयुर्विज्ञान कॉलेज के आरंभ करने के समय अपेक्षित बिस्तारों की संख्या 200 होगी, जिसे मान्यता प्रदान करने के समय बढ़ाकर 500 बिस्तारों किया जाएगा।"

ले. क. (से.नि.) डॉ. ए.आर.एन. सीतलवाड, सचिव

[विज्ञापन III/4/असाधा/100]

पाद टिप्पणी :—प्रधान नियमावली नामतः "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" दिनांक 28 अगस्त, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की अधिसूचना संख्या 34(41)/98-मेडि. के अंतर्गत भारत के राजपत्र के भाग-III, खण्ड 4 में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 7 अक्तूबर, 1999 को अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

### MEDICAL COUNCIL OF INDIA

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2009

No. MCI. 34(41)/2009-Med./44447.—In exercise of the powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India, with the previous sanction of the Central

Government hereby makes the following regulations to further amend the “Establishment of Medical College Regulations, 1999” namely :—

1. (i) These Regulations may be called the “Establishment of Medical College Regulations (Amendment), 2009”.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette of India.
2. In the “Establishment of Medical College Regulations, 1999”, the following additions/modifications/deletions/substitutions, shall be as indicated therein :—
3. Clause 2(5) under the heading “QUALIFYING CRITERIA” shall be substituted as under :—

“That the person owns and manages a hospital of not less than 300 beds with necessary infrastructural facilities capable of being developed into teaching institution in the campus of the proposed medical college :

Provided that in North Eastern State and Hill States, the beds strength required at the time of inception shall be 200 beds, which shall be increased to 400 beds at the time of recognition for a medical college having annual intake of 50 students and it shall be 250 beds at the time of inception which shall be increased to 500 beds at the time of recognition for a medical college having annual intake of 100 students.”

Lt. Col. (Retd.) Dr. A.R.N. SETALVAD, Secy.

[ADVT III/4/Exty./100]

**Foot Note :—**The Principal Regulations namely, “Establishment of Medical College Regulations, 1999” were published in Part III, Section 4 of the Gazette of India on the 28th August, 1999, *vide* Medical Council of India Notification No. 34(41)/98-Med. and amended *vide* notification 7th October, 1999.